चीनी उद्योग, को–जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति, 2013

प्रस्तावना–

उत्तर प्रदेश 2.43 लाख वर्ग कि0मी0 क्षेत्रफल में फैला हुआ लगभग 20 करोड़ जनशक्ति वाला भारत का सबसे बड़ा व प्रमुख राज्य है। उत्तर प्रदेश, देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है तथा गन्ने की खेती और चीनी मिलें प्रदेश की अर्थव्यवस्था और विकास की धुरी है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला यह प्रदेश एक बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है। गन्ना प्रदेश की मुख्य नकदी फसल होने के कारण किसानों की आजीविका एवं आय का प्रमुख स्रोत है। इसके मुख्य उत्पाद चीनी एवं सह–उत्पादों पर आधारित अनेक छोटे–बड़े उद्योगों से प्रदेश के करोड़ों लोगों को रोजी–रोटी के अवसर प्राप्त होते है। भारत वर्ष के कुल गन्ना क्षेत्रफल 49.44 लाख हेक्टेयर में 21.25 लाख हेक्टेयर (लगभग 43 प्रतिशत) से अधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है। परन्तु गन्ना तथा चीनी उत्पादन में प्रदेश का हिस्सा राष्ट्रीय औसत से कम है। प्रदेश का औसत गन्ना उत्पादन वर्ष 2011–12 में 59.34 टन प्रति हेक्टेयर रहा है। गन्ना विकास विभाग द्वारा गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित है, जिससे गन्ना उत्पादन 70 टन प्रति हेक्टेयर हो जाने की आशा है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011–12 में 124 (सहकारी–23+ निजी–101) चीनी मिलों द्वारा पेराई कार्य किया गया जिनकी पेराई क्षमता 7.67 लाख टी0सी0डी0 है। वर्ष 2011–12 में 767.35 लाख टन गन्ना पेराई कर 69.58 लाख टन चीनी उत्पादन किया गया है।

नई चीनी मिलों की आवश्यकता

वर्तमान समय में प्रदेश के गन्ना उत्पादक जनपदों में से अधिकांश में पर्याप्त चीनी मिलें स्थापित है, जिससे उत्पादित गन्ने का समुचित सदुपयोग हो पा रहा है किन्तु कुछ जनपदों में चीनी मिलों की अभी भी कमी है। उदाहरण के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन की पर्याप्त क्षमता होते हुए काफी मिलें बन्द हो चुकी है तथा बहुत सी मिलें जर्जर स्थिति में है। चीनी मिलों की कमी वाले जनपदों एवॅ ऐसे जनपदों जिनमें चीनी मिलों के लगने की संभावना है, उनको चिन्हांकित कर लिया गया हैै, जो निम्नवत हैः–

(1)	देवरिया	(2)	मऊ	(3)	आजमगढ
(4)	जौनपुर	(5)	अमेठी	(6)	रायबरेली
(7)	बदायूॅ	(8)	गाजीपुर	(9)	बलिया
(10)	गोरखपुर	(11)	सिद्धार्थनगर	(12)	एटा
(13)	इटावा	(14)	कन्नौज	(15)	मैनपुरी
(16)	फर्रूखाबाद	(17)	फिरोजाबाद	(18)	बॉदा
(19)	चित्रकूट	(20)	हमीरपुर	(21)	महोबा
(22)	झॉसी	(23)	जालौन	(24)	ललितपुर

इन जनपदों में चीनी उद्योग को प्रोत्साहित करते हुए नई चीनी मिलों की स्थापना की आवश्यकता है, जिससे किसानों की खुशहाली बढ़ने के साथ–साथ प्रदेश का भी विकास हो सके। इन जनपदों के अतिरिक्त किसी अन्य जनपद में इस नीति के अर्न्तगत नई चीनी मिल लगाने हेतु शासन की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा गन्ने का ड्राल 57% है अर्थात कुल गन्ने के उत्पादन का 57% चीनी मिलों को जाता है, शेष अन्य प्रयोजनार्थ–कशरों, कोल्हुओं, निजी उपयोग में। गत 06 वर्षो में ड्राल 45% से बढ़कर 57% पहुॅच गया है, जिसका मुख्य कारण यह है कि चीनी मिलों को किसान सुविधापूर्वक अपना गन्ना पहुॅचा सकता है तथा किसानों को भुगतान भी अच्छी दर पर एवं त्वरित रूप से चीनी मिलों से प्राप्त हो जाता है। चीनी मिलों का ड्राल 70% तक पहुॅचने की सम्भावना है जिससे चीनी मिलों के लिए और अधिक मात्रा में गन्ना उपलब्ध हो जायेगा।

देश मे प्रति वर्ष 220 लाख मैट्रिक टन चीनी की खपत है जबकि उत्पादन 250 लाख मैट्रिक टन होता है। वर्तमान परिदृश्य में यद्यपि देश में चीनी का उत्पादन घरेलू आवश्यकता से अधिक है किन्तु आगामी वर्षों में खपत बढ़ने की सम्भावना से घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता कम होने की आशंका है। इस दृष्टि से भी प्रदेश में नई चीनी मिलों की स्थापना अपरिहार्य एवं आवश्यक है। चीनी मिलें अपने क्षेत्रों में गन्ना विकास के लिए भी विभिन्न कार्यक्रम चलाती हैं, अतः नई चीनी मिलों की स्थापना से प्रदेश में गन्ना विकास कार्यक्रमों को भी गति प्राप्त होगी।

प्रदेश में गन्नें का एक बड़ा प्रतिशत गुड़ तथा खाण्डसारी उद्योग द्वारा प्रयोग किया जाता है। यदि नई चीनी मिलों के लगने से प्रदेश में गन्ना पेराई क्षमता में वृद्धि होती है तो इसका कोई विपरीत प्रभाव गुड़ तथा खाण्डसारी उद्योग पर नहीं पड़ेगा, क्योकिं प्रदेश की गन्ना विकास योजनाओं के फलस्वरूप गन्ने की उत्पादकता में होने वाली वृद्धि से नई चीनी मिलों की आवश्यकता की पूर्ति हो जायेगी।

को–जनरेशन इकाईयों की आवश्यकता

इसी प्रकार देश में चीनी मिलों में स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 3090 मेगावॉट है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 58 चीनी मिलों (जिसमें को–जेन स्थापित है) में स्थापित क्षमता 1254 मेगावॉट है। इन को–जनरेशन इकाइयों से पॉवर कारपोरेशन को 800 मेगावॉट बिजली उपलब्ध करायी जा रही हैं। वर्तमान में स्थापित चीनी मिलों में को–जनरेशन प्लांट लगाकर 750 मेगावॉट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। प्रदेश की बिजली आवश्यकता को देखते हुए 750 मेगावॉट अतिरिक्त उत्पादन करने हेतु स्थापित चीनी मिलों तथा नई लगने वाली चीनी मिलों में को–जनरेशन प्लांट स्थापित कर अतिरिक्त विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना अपरिहार्य है।

आसवनियों की आवश्यकता

प्रदेश में 61 आसवनी स्थापित हैं, जिनकी कुल क्षमता 135.06 करोड़ लीटर प्रति वर्ष है। वर्तमान में प्रदेश में गन्ना उत्पादन 59.34 टन प्रति हेक्टेयर है, जिसके 70 टन प्रति हेक्टेयर तक बढ़ने की आशा है। फलस्वरूप चीनी परता, शीरे के उत्पादन में भी वृद्वि होगी। इस प्रकार घरेलू उपयोग से उत्पादन अधिक होने के कारण गन्ने के रस से एथोनॉल व अल्कोहल का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, जिससे न केवल चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि गन्ना मूल्य भुगतान सही समय पर होने से गन्ना किसानों को भी लाभ प्राप्त होगा तथा पेट्रोल में एथोनॉल ब्लेंडिंग के कार्यक्रम को भी बढ़ावा मिलेगा।

वर्तमान समय में लगभग रूपए 18 हजार करोड़ से भी अधिक की पूॅजी ग्रामीण क्षेत्रों में गन्ना मूल्य के रूप में प्रवाहित हो रही हैं। प्रदेश में नई चीनी मिलों की स्थापना से इस पूॅजी प्रवाह में और वृद्धि होगी एवॅ किसानों की आर्थिक स्थिति में आशातीत सुधार होगा। शासन की नीति गन्ना किसानों एवॅ चीनी मिलों के मध्य सामंजस्य स्थापित कर दोनों के हितों का सम्यक् ध्यान रखते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।

अतः प्रदेश में चीनी उद्योग को बढ़ावा देने हेतु नई चीनी मिलों की स्थापना तथा को–जनरेशन प्लांट एवं आसवनी स्थापित करने को प्रोत्साहित करने हेतु निजी पूॅजी निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से चीनी उद्योग, को–जनरेशन एवॅ आसवनी प्रोत्साहन नीति, 2013 घोषित की जा रही है।

नीति के अन्तर्गत छूट एवॅ रियायतें

उपरोक्त नीति के अर्न्तगत नई चीनी मिलों की स्थापना पुरानी चीनी मिलों के क्षमता विस्तार तथा पुरानी चीनी मिलों के साथ को–जनरेशन प्लांट एवॅ आसवनी स्थापित करने की दशा में इकाइयों/कम्पनियों को 05 वर्ष तक निम्नवत् छूट एवॅ रियायतें दी जायेगीं।

1– नई चीनी मिल स्थापित करने पर –

(1)– प्लांट एवं मशीनरी हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों/एस0डी0एफ0 से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(2)– गन्ना क्रय कर पर छूट।

(3)– देशी मदिरा हेतु शीरा आरक्षित करने से छूट।

(4)– शीरे की प्रथम विक्री की तिथि से 05 वर्ष तक जमा किये गये वैट व केन्द्रीय विक्रयकर के योग के समतुल्य अथवा वार्षिक विक्रय धन की 10 प्रतिशत धनराशि, जो भी कम हो, ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी, जिसका भुगतान ऋण वितरण की तिथि से 05 वर्ष बाद देय होगा।

(5)– शीरे पर प्रशासनिक चार्ज की छूट।

(6)– स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रजिस्ट्री शुल्क में छूट।

(7)– 75 प्रतिशत सोसाइटी कमीशन धनराशि की प्रतिपूर्ति।

2– पूर्व में स्थापित चीनी मिल में को–जनरेशन लगाने पर –

(1)– प्लांट एवं मशीनरी हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों/एस0डी0एफ0 से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(2)– यदि को–जेन स्थापित करने के लिए अतिरिक्त भूमि क्रय की जानी हो, तो स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रजिस्ट्री शुल्क में छूट।

3– पूर्व में स्थापित चीनी मिल में आसवनी लगाने पर –

(1)– प्लांट एवं मशीनरी हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों/एस0डी0एफ0 से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(2)– शीरे की प्रथम क्रय की तिथि से 05 वर्ष तक भुगतान किये गये वैट व केन्द्रीय बिक्रीकर के योग के समतुल्य अथवा वार्षिक क्रय धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि, जो भी कम हो, ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी, जिसका भुगतान ऋण वितरण की तिथि से 05 वर्ष बाद देय होगा।

(3)– शीरे पर प्रशासनिक चार्ज की छूट।

(4)– यदि आसवनी स्थापित करने के लिए अतिरिक्त भूमि क्रय की जानी हो, तो स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रजिस्ट्री शुल्क में छूट।

4–पूर्व में स्थापित चीनी मिल में आसवनी एवं को–जनरेशन लगाने पर–

(1)– प्लांट एवं मशीनरी हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों/एस0डी0एफ0 से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(2)– शीरे की प्रथम क्रय की तिथि से 05 वर्ष तक भुगतान किये गये वैट व केन्द्रीय बिक्रीकर के योग के समतुल्य अथवा वार्षिक क्रय धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि, जो भी कम हो, ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी, जिसका भुगतान ऋण वितरण की तिथि से 05 वर्ष बाद देय होगा।

(3)– शीरे पर प्रशासनिक चार्ज की छूट।

(4)– यदि आसवनी व/या को–जेन स्थापित करने के लिए अतिरिक्त भूमि क्रय की जानी हो, तो स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रजिस्ट्री शुल्क में छूट।

5–पूर्व में स्थापित चीनी मिल की क्षमता विस्तार करने पर–

(1)– प्लांट एवं मशीनरी हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों/एस0डी0एफ0 से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(2)– विस्तारित क्षमता पर गन्ना क्रयकर पर छूट।

(3)– विस्तारित क्षमता पर शीरे की प्रथम विक्रय की तिथि से 05 वर्ष तक जमा किये गये वैट व केन्द्रीय विक्रय कर के योग के समतुल्य अथवा वार्षिक क्रय धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि, जो भी कम हो, ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी, जिसका भुगतान ऋण वितरण की तिथि से 05 वर्ष बाद देय होगा।

(4)– विस्तारित क्षमता पर शीरे पर प्रशासनिक चार्ज की छूट।

(5)– यदि क्षमता विस्तार करने के लिए अतिरिक्त भूमि क्रय की जानी हो, तो स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रजिस्ट्री शुल्क में छूट।

(6)– विस्तारित क्षमता पर सोसाइटी कमीशन की प्रतिपूर्ति।

6– पूर्व में स्थापित को–जेन इकाई की क्षमता विस्तार करने पर –

(1)– प्लांट एवं मशीनरी हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों/एस0डी0एफ0 से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(2)– यदि को–जेन इकाई की क्षमता विस्तार करने के लिए अतिरिक्त भूमि क्रय की जानी हो, तो स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रजिस्ट्री शुल्क में छूट।

7– पूर्व में चीनी मिल में स्थापित आसवनी की क्षमता विस्तार करने पर –

(1)– प्लांट एवं मशीनरी हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों/एस0डी0एफ0 से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(2)– विस्तारित क्षमता के लिए प्रयुक्त शीरे की प्रथम क्रय की तिथि से 05 वर्ष तक भुगतान किये गये वैट व केन्द्रीय विक्रयकर के योग के समतुल्य अथवा अतिरिक्त वार्षिक क्रय धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि, जो भी कम हो, ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी, जिसका भुगतान ऋण वितरण की तिथि से 05 वर्ष बाद देय होगा।

(3)– विस्तारित क्षमता के लिए प्रयुक्त शीरे पर प्रशासनिक चार्ज की छूट।

(4)– यदि आसवनी की क्षमता विस्तार करने के लिए अतिरिक्त भूमि क्रय की जानी हो तो स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रजिस्ट्री शुल्क में छूट।

8– पूर्व में स्थापित चीनी मिल में आसवनी एवं को–जेन इकाई की क्षमता विस्तार करने पर

(1)– प्लांट एवं मशीनरी हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों/एस0डी0एफ0 से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(2)– आसवनी की विस्तारित क्षमता के लिए शीरे की प्रथम क्रय की तिथि से 05 वर्ष तक भुगतान किये गये वैट व केन्द्रीय विक्रयकर के योग के समतुल्य अथवा वार्षिक क्रय धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि, जो भी कम हो, ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी, जिसका भुगतान ऋण वितरण की तिथि से 05 वर्ष बाद देय होगा।

(3)– आसवनी की विस्तारित क्षमता के लिए शीरे पर प्रशासनिक चार्ज की छूट।

(4)– यदि आसवनी व को–जेन की क्षमता विस्तार करने के लिए अतिरिक्त भूमि क्रय की जानी हो तो स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रजिस्ट्री शुल्क में छूट।

9– नई चीनी मिल, आसवनी एवं को–जेन इकाई स्थापित करने पर –

(1)– प्लांट एवं मशीनरी हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों/एस0डी0एफ0 से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(2)– गन्ना क्रयकर पर छूट।

(3)– देशी मदिरा हेतु शीरा आरक्षित करने से छूट।

(4)– शीरे की प्रथम क्रय/विक्रय की तिथि से 05 वर्ष तक भुगतान/जमा किये गये वैट व केन्द्रीय विक्रयकर के योग के समतुल्य अथवा वार्षिक क्रय/विक्रय धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि, जो भी कम हो, ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी, जिसका भुगतान ऋण वितरण की तिथि से 05 वर्ष बाद देय होगा।

(5)– शीरे पर प्रशासनिक चार्ज की छूट।

(6)– स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रजिस्ट्री शुल्क में छूट।

(7)– सोसाइटी कमीशन की प्रतिपूर्ति।

उपरोक्त छूट एवँ रियायतें निम्न शर्तो के अधीन होगीं –

1– इकाई/कम्पनी द्वारा नई चीनी मिल की स्थापना राज्य सरकार द्वारा चिन्हित जनपदों में की जायेगी किन्तु को–जेन प्लांट और आसवनी पूर्व स्थापित इकाइयों में लगाए जा सकेंगे।

2– चीनी मिल की स्थापना के लिए कम्पनी/इकाई द्वारा नीति घोषित होने के 03 वर्षों के अन्दर व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जायेगा। को–जेन/आसवनी अथवा को–जेन और आसवनी स्थापित करने में कम्पनी/इकाई द्वारा नीति घोषित होने के 02 वर्षों के अन्दर व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जायेगा। इस नीति के अन्तर्गत वही इकाइयॉ आच्छादित मानी जायेगी जिनमें निर्माण कार्य नीति घोषित होने की तिथि के बाद से प्रारम्भ हो।

3– प्लांट एवं मशीनरी हेतु एस0डी0एफ0 से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर की प्रतिपूर्ति एस0डी0एफ0 को देय ब्याज से अधिक नहीं होगी।

4– विस्तारित क्षमता को निश्चित करने हेतु किसी वर्तमान इकाई द्वारा पिछले पॉच वर्षों में से किसी वर्ष में किये गये अधिकतम उत्पादन अथवा उत्पाद क्षमता का 80 प्रतिशत जो भी अधिक हो, को आधारभूत उत्पादन माना जायेगा। आधारभूत उत्पादन के ऊपर किये गये क्षमता विस्तार को ही विस्तारित क्षमता माना जायेगा।

5– कम्पनी/इकाई द्वारा सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान ससमय किया गया हो।

6– 05 वर्षों में दी गई छूट एवॅ रियायतें प्रति इकाई रू0 75.00 करोड़ से अधिक की नहीं होगी।

कम्पनी/इकाई द्वारा त्रुटिपूर्ण सूचना/अभिलेखों के आधार पर प्राप्त की गई छूट एवं रियायतों की धनराशि भू–राजस्व की भॉति वसूल की जायगी।

(राहुल भटनागर)
प्रमुख सचिव,
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग।